

राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार केम्प..... 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 74 / 2018

दायर दि0 24/5/2018

फैसल दि0 24/5/2018

श्री जयलाल पि.
राजम चमार
(वादी)

अनवान

बनाम

भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री जयलाल ने वाद प्रस्तुत कर मोजा गामडाबा के खाता नम्बर 335 जमाबन्दी सं0 2012-75 में अंकित स्वयं/पिता का नाम जितेन्द्र गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम जयलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम जितेन्द्र दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है । प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम जयलाल होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा गामडाबा की जमाबन्दी संवत् 2012-75 के खाता संख्या 335 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम जितेन्द्र में संशोधन कर सही नाम जयलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा